EAP अनुमोदन की सामान्य प्रक्रिया

- राष्ट्रीय व राज्य की पंचवर्षीय योजना व वार्षिक योजना के objectives के आलोक में विभागीय स्तर पर परियोजना का अभिचिन्हन, Concept Note/Preliminary Project Report तैयार करना।
- वित्त एवं नियोजन विभाग/EAP विभाग से परीक्षण। राज्य सरकार में सर्वोच्च प्रशासनिक अनुमोदन।
  केन्द्र सरकार से निम्नांकित 03 clearances अनिवार्यः—
  - केन्द्र सरकार में Line Ministry से अनुमोदन प्राप्त करना (Line Ministry द्वारा Observation के उपरान्त उठाये गये issues का निराकरण)।
  - केन्द्रीय योजना आयोग से भी अनुमोदन प्राप्त करना।
  - वित्त मंत्रालय के Expenditure Division से debt-sustainability विषयक अनुमोदन।
- उपर्युक्त 03 clearances के उपरान्त DEA, वित्त मंत्रालय के सम्बन्धित Division में प्रस्ताव submit करना।
- DEA में प्रत्येक माह एक बार सारे Divisions में प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण Screening Committee द्वारा किया जाता है। बैठक में सम्बन्धित Line Ministry व राज्यों को भी आमंत्रित किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा अपने प्रस्ताव से सम्बन्धित एक संक्षिप्त एवं प्रभावपूर्ण presentation किये जाने की परम्परा।
  DEA से स्वीकृत के उपरान्त सम्बन्धित Funding Agency को प्रस्ताव submit किया जाना।

महत्वपूर्ण सम्पर्क सूत्र

DEA, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

- Shri Prabodh Saxena, Joint Secretary-011-23093558, 23094453

योजना आयोग, भारत सरकार

- Dr. Rakesh Sarwal,Adviser (Uttarakhand)-011-23096722, 09013031950 advhealth-pc@nic.in